छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन

कार्यालय-प्लाट नं. ओ/6, दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.) 492014

Email : cgfederation2019@gmail.com

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्टर्ड
(पंजीयन क्रमांक-122202017067 रायपुर दिनांक 16/01/2020)

कमल वर्मा
संयोजक
मो.नं.-9425509920
7974388672

सुभाष मिश्र
संरक्षक
मो.नं.-9425203900

पत्र क्र. छ.ग.क.अ.फे./532 रायपुर, दिनांक 23/07/2024

प्रति,

1. माननीय श्री विष्णु देव साय जी
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

2. मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

विषय :— प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने बाबत्।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लगातार पांच वर्षो से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने शासन—प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है।लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि राज्य शासन द्वारा अभी तक इसे लागू करने ठोस पहल नहीं किया गया, जिसके कारण प्रदेश के शासकीय सेवकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा पूर्व प्रदेश के शासकीय सेवकों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत किया था। जो कि पुनः आपके सादर अवलोकन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत है। उक्त योजना लागू होने से शासन एवं कर्मचारियों को निम्नांकित लाभ मिलेगा :—

1) छत्तीसगढ़ शासन का कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी योजना होगा।
2) छत्तीसगढ़ शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा।
3) फर्जी मेडिकल देयकों के भुगतान एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा,शासन का बचत होगा।
4) इलाज हेतु Refer कराने के जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगा।
5) मेडिकल देयकों के कार्योत्तर स्वीकृति में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा।
6) योजना,छत्तीसगढ़ सरकार का अपने कर्मचारी—अधिकारियों के लिये संवेदनशील होने का परिचायक होगा।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन,जो कि 110 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, आपसे अनुरोध करता है कि उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

आपका,

23/7/24

(कमल वर्मा)
प्रांतीय संयोजक
प्रदेश अध्यक्ष — छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ

CamScanner

छत्तीसगढ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

पंजीयन कमांक 122202017067

योजना : मुख्यमंत्री संजीवनी योजना (प्रस्तावित नाम)

हितग्राही : छत्तीसगढ राज्य के अधिकारी एवं कर्मचारी के लिये लागू किये जाने प्रस्तावित

उदेश्य : तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु,अग्रिम जमा राशि बिना

इलाज स्थान : छ.ग. शासन द्वारा राज्य के भीतर एवं बाहर अधिकृत/मान्य प्राइवेट चिकित्सालय एवं पंजीकृत चिकित्सालय ।

शासकीय सेवकों की कुल संख्या–2,28,586

योजना क्या है ———————— ?

शासकीय सेवक उसका परिवार एवं आश्रित माता पिता /भाई–बहन का इलाज राज्य शासन द्वारा मान्य/अधिकृत चिकित्सालय में बिना चिकित्सा जमा राशि जमा किये "शासकीय सेवक कल्याण संजीवनी कार्ड" के आधार पर प्रारंभ हो जावे । शासकीय सेवक को इलाज सुविधा के दृष्ट्रिगत, संजीवनी कार्ड में कर्मचारी का नाम कर्मचारी कोड कार्यालय का पता जी.पी.एफ. नंबर पेन नंबर जन्मतिथि विभाग का नाम विभागीय पता सेवा संवर्ग जिला राज्य ———————— आदि का उल्लेख रहेगा ।

प्रस्तावना – (हमारी स्थिति एक नजर में)

छत्तीसगढ राज्य में शासकीय सेवक कुल 228586 है । जिसमें महिला सेवक 45986 एवं पुरूष सेवक 182600 है । चिकित्सा मद् में प्रति वर्ष 31करोड 47 लाख रूपयों का व्यय छ.ग. शासन करती है । औसत प्रति कर्मचारी व्यय रू. 1380 – (अनुमानित) है । प्रतिवर्ष 2.86% वृद्धि दर कुल संख्या में है । मूल वेतन समूह में रू. 2750 से 4000 तक के वेतन समूह में सर्वाधिक 59930 कुल कर्मचारियों का 26.22% एवं सबसे कम 16001 से अधिक से अधिक समूह में 785 i e 0.34% कार्यरत है । इसी कम में 0000–2750 से 35223 ; रू. 2751–4000 में 59930 ; रू. 4001–5000 तक में 42443 ; रू. 5001–6500 तक में 42632 ; रू. 6501–10000 तक में 41811 ; रू. 10001–12000 तक में 2959 रू. 1201 – 16000 तक में 2803 रू. 16001 से ऊपर 785 ; कुल 2,28,586 शासकीय कर्मचारी कार्यरत है ।

कमशः...2..

CamScanner

नगरीय निकाय 12330 ; पंचायत प्रणाली के 61371 ; विकास प्राधिकरण के 636 एवं विश्वविद्यालय के सेवकों को जोड कर 305921 है । कुल नियोजन में 74.72% शासकीय सेवक है ।शेष 25.28% अन्य उपरोक्तानुसार वर्गीकृत सेवक संख्या है । राज्य के सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में 22.37% महिलायें कार्यरत है । समस्त शासकीय विभागों के अंतर्गत कूल सेवकों की संख्या 228587 है जिसमें से नियमित स्थापना अंतर्गत 77.94% तथा 22.86% आकस्मिक स्थापना के है । नियमित स्थापना में 178165 तथा आकस्मिक स्थापना में कुल 228586 सेवक कार्यरत है (31 मार्च 2007 की स्थिति में)

प्रशासनिक विभागों में सर्वाधिक शासकीय सेवक कमशः शिक्षा – 45962 ;आदिम जाति कल्याण–29559; गृह –28500 ; स्वास्थ्य –19770 ; राजस्व –9590 ; कृषि –8540 जल संसाधन –7012; अन्य 985 कार्यरत है । मूल वेतन समूह अनुसार शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारियों में सर्वाधिक 2570 से 4000 वेतन समूह में 69930 कार्यरत है ।

राज्य शासन द्वारा समस्त शासकीय सेवकों को 17 विभिन्न केन्द्रीय वेतनमान स्वीकृत किया गया जिसमें सर्वाधिक 2750–4400 एवं 3050–4590 ; 5200–20200+1800 (लेवल 1–7) में 52447; 3500–5200 एवं 4000–6000 ; 5200–20200 +2200 (लेवल–5) एवं 5200–20200 +2400 (लेवल–6) ; 5200–20200 +2800 (लेवल–7) में 52077; 4500–7000; एवं 5000–8000 ; 9300–34800+4200 (लेवल–8) में 44016; 5500–9000 एवं 6500–10500 ; 9300–34800+4300 एवं 4400 (लेवल–9 एवं 10) में 21115; 7500-12000 एवं 8000–13500 ; 9300–34800+4800 (लेवल–11); 15600–39100+5400(लेवल–12) में 6408 ; 10000–15200 एवं 12000–16500; 15600–39100+6600 एवं 7600 (लेवल–13 एवं 14) में 2216 तथा 14300 से अधिक 1982 कुल 228587

योजना क्या है ——————————————?

मुख्यमंत्री संजीवनी योजना के तहत शासकीय सेवकों को तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना एवं शासकीय सेवक को अधिक जवाबदेही बनाना है ।

योजना के तहतः–

1.शासकीय सेवक को अपने–अपने परिवार के सदस्य एवं आश्रित माता–पिता के इलाज हेतु शासकीय एवं पंजीकृत अथवा शासन द्वारा मान्य चिकित्सालयों में तत्काल इलाज प्रारंभ कराना अर्थात उपरोक्त सभी का इलाज संजीवनी कार्ड के आधार पर बिना तत्काल चिकित्सा राशि जमा के प्रारंभ हो जावे ।

2. गंभीर बीमारी के मामले में राज्य के बाहर बेहतर चिकित्सीय सुविधा हेतु अनुमोदित चिकित्सालयों में शासकीय सेवक का इलाज मुख्यमंत्री संजीवनी कार्ड के द्वारा तत्काल सेवा प्रारंभ हो सके । राज्य शासन द्वारा उक्त चिकित्सालय को Online payment चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक के आधार पर करें ।

3. राज्य शासन अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायी बनाये एवं मुख्य चिकित्सालयों में इलाज हेतु छ.ग. चिकित्सा नियमों में परिवर्तन कर विभागीय अनुमति एवं refer की प्रकिया समाप्त किया जाये । क्योकि सिविल सर्जन से संचालक चिकित्सा शिक्षा तक उपचार हेतु अनुमति एवं refer लेने की प्रकिया अत्यधिक जटिल है । पीडित कर्मचारी इस जटिल प्रकिया में उलझ कर त्वरित इलाज से वंचित नही रहना चाहता है । अतः 8 जून 1973 भाग 4 (ग)पृष्ठ 279 से 533 तक म.प्र. राजपत्र में वर्णित चिकित्सा सुविधा नियम में नियम में परिवर्तन आवश्यक है । इससे राज्य शासन की अपने कर्मचारी /अधिकारी के प्रति संवेदनशीलता परिलक्षित होगी ।

कमशः....3..

CamScanner

राज्य शासन को क्या करना है ——————?

1. प्रत्येक कर्मचारी /अधिकारी का मुख्यमंत्री संजीवनी कार्ड बनवाना होगा । इसमें कर्मचारी/ अधिकारी का नाम,कर्मचारी कोड,कार्यालय का नाम, विभागाध्यक्ष , जिला प्रमुख एवं अन्य जानकारियों का उल्लेख हो । मुख्यमंत्री संजीवनी कार्ड संबंधित जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी को जारी होगा । यह कार्ड उसके छ.ग. शासन का कर्मचारी होने का पहचान पत्र भी होगा ।
2. चिकित्सा मद में बंटन को Online re-imbursement हेतु software develop करना होगा ।
3. चिकित्सालयों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय प्रचालित सीमा अनुसार भुगतान होगा । अधिक भुगतान की राशि को संबंधित के वेतन से किश्तों में कटौती अथवा संबंधित के द्वारा शासकीय कोष में चालान के द्वारा एक मुश्त जमा किये जाने की रूपरेखा तैयार करना ।
4. राज्य के बाहर उपचार प्रकिया में refer के स्थान पर पंजीकृत चिकित्सक के अभिमत अथवा अन्य चिकित्सालय के अभिमत को मान्य किया जाना है जो कि राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज हेतु opinion certificate देंगे ।
5. राज्य शासन में कर्मचारियों /अधिकारियों के उपचाराथ निजी चिकित्सालयों को मान्यता तथा फीस का निर्धारण किया हुआ है संबंधित के देयकों का परीक्षण म.प्र. सिविल सर्विसेज चिकित्सा परिचर्चा नियम 1958 के अंतर्गत किया जावे प्रतिपूर्ति की कार्यवाही का प्रावधान किया हुआ है । सब कुछ यथावत् रखते हुये केवल अपने मातहतो को नये सेवा लाभ के अंतर्गत मुख्यमंत्री संजीवनी योजना के तहत इलाज की सुविधा उपलब्ध करायेगा ।

शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को विपत्ती के समय आर्थिक संकट से उबारने एवं बचत के उद्देश्य से यह योजना लागू किया जाना चाहिये ।

विशेष :– राज्य शासन के द्वारा 31 करोड 47 लाख (लगभग) चिकित्सा देयकों को पारित करने पर प्रति वर्ष व्यय होता है ।

राजेश चटर्जी
प्रांताध्यक्ष
छ.ग.प्रदेश शिक्षक फेडरेशन
प्रांतीय सचिव
छ.ग.कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

कमल वर्मा
प्रांताध्यक्ष
छ.ग.प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ
प्रांतीय संयोजक
छ.ग. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

प्रति,
मान.मुख्यमंत्री,
छ.ग.शासन,रायपुर

CamScanner